



आर.ई.ओ.59

जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू मार्केट लाउजरा, इम्पारिटीयल एरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651313 (00) फैक्स नं. 2741070

क्रमांक:- अप्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु-पीपीएम/पत्रांसागान्य /प्रे०रि० 1180 जोधपुर दिनांक 21/01/2003

परिपत्र

विषय :- कृषि कनेक्शन हेतु निरस्त किये गये आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में।

पूर्व में निगम के आदेश संख्या क्रमांक जोधपुर डिस्कॉम/अज-पीपीएण्डएम/फा०सागान्य शाखा/प्रे० 614 दिनांक 20/6/2002 (आर.ई.ओ.22) में यह प्रावधान किया गया था कि कृषि कनेक्शन के आवेदन पत्र यदि कुंआ न खुदा पाये जाने के कारण निरस्त किये गये हों तो उन्हें भी रुपये 500/- लेकर पुनर्जीवित किया जा सकेगा, परन्तु निगम के आदेश क्रमांक जोधपुर डिस्कॉम/अज-पीपीएण्डएम/फा०सागान्य शाखा/प्रे 1476 दिनांक 24.10.2002 (आर.ई.ओ.38) व क्रमांक अप्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अज-पीपीएण्डएम/पत्रांसागान्य शाखा/प्रे० 876 दिनांक 26/8/2003 (आर.ई.ओ.58) में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। अब कृषकों की मांग व उनकी अशुविधा को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि जिन कृषकों के मांग पत्र कुंआ न खुदे होने के कारण निरस्त किये जा चुके हैं, वे आवेदक भी 31-12-2003 तक रुपये 500/- जमा करवा कर अपनी निरस्त पत्रावली को पुनर्जीवित करवा सकेंगे। मांग पत्र वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार जारी किये जायेंगे, अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

(आर.एस.चौधरी)
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।